यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
685 / 2015	प्रा0पत्र 111, 128 LRA	09.09.2011	24.07.2019

1. कादर
2. खुशीमोहम्मद
3. अकलीम
4. सैयद
5. इकबाल

पिसरान स्व. हुसैन जाति तेली मुसलमान निवासीगण मोहल्ला तेलियान, चूरू जिला चूरू

6. आमीन
6/1 मरयमबानो पत्नी स्व. आमीन
6/2 मो. इस्माईल पुत्र स्व. आमीन
6/3 सलीम पुत्र स्व. आमीन
6/4 अख्तरहुसैन पुत्र स्व. आमीन
6/5 मो. इस्हाक पुत्र स्व. आमीन
6/6 जन्नत पुत्री स्व. आमीन
6/7 खातून पुत्री स्व. आमीन
7. नानू
8. लादू

पिसरान स्व. अलादीन जाति तेली मुसलमान निवासीगण मोहल्ला तेलियान, चूरू जिला चूरू

9. नानची पत्नी स्व. पीरू
10. अब्दुलसतार
11. नेकमोहम्मद
12. जाकिरहुसैन

पुत्रगण स्व. पीरू

13. सलमा
14. साबिका
15. शमीम
16. मुन्नी
17. जुबैदा

पुत्रियां स्व. पीरू

जाति तेली मुसलमान निवासीगण मोहल्ला तेलियान, चूरू जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोहम्मदआजाद पुत्र अब्दुलशकूर जाति काजी मुसलमान निवासी वाड नं. 12 भरतिया हॉस्पीटल रोड़ चूरू
2. आँकारमल
3. नोरतमल

पुत्रगण पोकरराम जाति प्रजापत निवासी लाल घण्टाघर के पास, चूरू

4. मृतक अस्तअलीखां पुत्र करीमखां जाति कायमखानी निवासी नया बास, नूरी मस्जिद के पास, चूरू

4/1 सुगरा पत्नी स्व. अस्तअलीखां
4/2 मुमताज पुत्री स्व. अस्तअलीखां
4/3 बाबू पुत्र स्व. अस्तअलीखां

जाति कायमखानी निवासीगण नया बास, नूरी मस्जिद के पास, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

4/4 अजीज पुत्र स्व. अस्तअलीखां
4/5 इस्लाम पुत्र स्व. अस्तअलीखां
4/6 इकरार पुत्र स्व. अस्तअलीखां
4/7 जरीनाबानो पुत्री स्व. अस्तअलीखां
} जाति कायमखानी निवासीगण नया बास, नूरी मस्जिद के पास, चूरू

5. युनसअलीखां पुत्र करीमखां जाति कायमखानी निवासी नया बास, नूरी मस्जिद के पास, चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री भीमनाथ सिद्ध प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी अप्रार्थी सं. 1, 3
3. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह बिदावत अप्रार्थी सं. 2
4. अधिवक्ता श्री विजयसिंह शेखावत अप्रार्थी सं. 4, 5

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 कस्बा चूरू के निवासीगण हैं और काश्त पेशा लोग हैं तथा दोनों ही पक्षों के खातेदारी के खेत रोही कस्बा चूरू में सींवाजोड़ हैं। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का एक खेत ख. नं. 251 तादादी 40.09 बीघा रोही कस्बा चूरू में स्थित है जिसमें जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण सं. 1 से 5 एवं उनकी माता सायरा बेवा हुसैन का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थीगण सं. 1 से 5 की माता सायरा का स्वर्गवास हो चुका है तथा इस खेत में प्रार्थीगण सं. 6 से 8 का 3/8 हिस्सा है एवं प्रार्थीगण सं. 9 से 17 का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर है। प्रार्थीगण के इस खेत ख.नं. 251 के सींवाजोड़ दक्षिण की तरफ अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 का खातेदारी का खेत ख.नं. 1564/248 तादादी 40.02 बीघा रोही कस्बा चूरू में है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का 5/30 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 व 3 का 2/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 2/18 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 5 का 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार है। प्रमाण स्वरूप नकल जमाबन्दी एवं नकल अक्स इस आवेदन पत्र के साथ में पेश है। यह कि सभी प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की इस कृषि भूमि को मौके पर अपने–अपने हिस्सों के अनुसार हमेशा से काश्त करते आये हैं और उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं और अपने हिस्से के अनुसार कब्जा एवं काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख.नं. 251 तादादी 40.09 बीघा रोही कस्बा चूरू की दक्षिण की तरफ की सीमा अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख.नं. 1564/248 तादादी 40.02 बीघा रोही कस्बा चूरू में लगती हुई है जिस सीमा पर प्रार्थीगण ने अपनी पट्टियां रोप रखी थी और मौके पर सीमा चिन्ह हमेशा से ही चले आ रहे थे। यह कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सदामत का है जबकि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि को पूर्व मालिकान से खरीद की है। प्रार्थीगण सभी बिल्कुल सीधे–साधे काश्त पेशा कमजोर व्यक्ति हैं अप्रार्थी सं. 1 काफी होशियार शक्तिशाली एवं झगड़ालू प्रवृत्ति का राजनैतिक पहूंच वाला व्यक्ति है जिसने इस समय में कृषि भूमि की कीमतों में

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अनापशनाप बढ़ोतरी होने के कारण जमीन के लालच में आकर दोनों खेतों के बीच में सदामत से बनी हुई सींव के सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये हैं और मौके पर प्रार्थीगण की लगी हुई पट्टियां गिरा दी हैं और मौके पर सीमा चिन्ह पूर्णतया समाप्त कर दिये हैं। प्रार्थीगण को पता चलने पर अप्रार्थी सं. 1 को औलमा दिया तो वह प्रार्थीगण के गले पड़ गया और कहा कि सींव वह कायम करेगा वहीं होगी। जनदीक आ गये तो टांग तोड़ दूंगा और जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थीगण झगड़ा करने में सक्षम नहीं हैं और मौके पर सदामत के पुख्ता सीमा चिन्ह मिटा देने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बाधा होती है और आये दिन झगड़ा होने की स्थिति आ गई है। यह कि ऐसी स्थिति होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 6 के यहां सीमा ज्ञान करवाने के लिये निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर सीमा ज्ञान करवाने का प्रयास किया परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने मौके पर झगड़ा फसाद खड़ा कर दिया और सीमाज्ञान नहीं होने दिया। इसलिये यही इस आवेदन पत्र का कारण है और आवेदन पत्र का आधार प्रार्थीगण अपनी भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार होने से है। यह कि अब दोनों खेतों के बीच में सींव के कोई सीमा चिन्ह नहीं है तथा पुख्ता सीमा चिन्ह एवं मौके पर गद लगाने का जो भी नियमानुसार खर्चा होगा वोह प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 ने प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद नहीं किया है परन्तु वोह सभी इस खेत के हिस्सेदार खातेदार है इसलिये प्रार्थीगण के इस आवेदन पत्र में कोई कानूनी नुक्स नहीं रह जावे जिसके लिये उनको भी इस आवेदन पत्र में पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और इस न्यायालय को इस आवेदन पत्र के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होने से उचित कोर्ट फीस पर अन्दर सियाद पेश है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 251 तादादी 40.09 बीघा रोही कस्बा चूरू की दक्षिणी सींव एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 1564/248 तादादी 40.02 बीघा रोही कस्बा चूरू की उतरी सींव पर मौके पर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाकर पुख्ता गद लगवाये जाने का आदेश अप्रार्थी सं. 6 को जारी किये जावे।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से श्री धन्नाराम सैनी एडवोकेट, 2 की ओर से श्री प्रतापसिंह एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 4, 5 की ओर से श्री विजयसिंह एडवोकेट ने वकातलतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। तत्पश्चात् पत्रावली काफी समय तक जवाब में लम्बित चलती रही। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 मोहम्मद आजाद व 3 नोरतमल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 से 3 प्रार्थीगण प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करें। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जाती है। प्रार्थीगण प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करें। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण सीधे साधे कमजोर व्यक्ति हैं। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 काफी होशियार, शक्तिशाली एवं झगड़ालू प्रवृति का राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने लालच में आकर सींव के सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये हों और मौके पर प्रार्थीगण की लगी हुई पट्टियां गिरा दी हो और मौके पर सीमा चिन्ह पूर्णतया समाप्त कर दिये हों। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का ओलमा दिया हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने टांग तोड़ने व जान से मारने की आदि की धमकी दी हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि आये दिन झगड़ा होने की स्थिति आ गई हो। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की कृषि भूमि की सींव सदामद से जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर ज्यों के त्यों सीमा चिन्ह मौजूद चले आ रहे हैं। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार के सीमा चिन्ह नहीं हटाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा चिन्ह हटाने का कोई प्रयास भी कभी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कभी कोई विवाद विद्यमान नहीं रहा है, न ही वर्तमान में सींव को लेकर किसी प्रकार का विवाद है। प्रार्थीगण की सींव वन विभाग की भूमि से चिपते हुए है। वन विभाग द्वारा अपनी भूमि की पेमाईश की जाकर सीमा चिन्ह आदि की कार्यवाही पिछले समय में की गई थी। वन विभाग की भूमि की पेमाईश जरीब से पुराने समय में की जाती रही हैं लेकिन वर्तमान में जरीब से वन विभाग द्वारा कोई पेमाईश नहीं करवाई गई और पेमाईश संचत्र से पेमाईश अंदाज से की जाकर वन विभाग द्वारा जगह जगह सीमा चिन्ह स्थापित किये गये। जरीब से पैमाईश करने व पैमाईश संयत्र से पैमाईश करने में अन्तर आना स्वभाविक हैं क्योंकि जरीब से टीलों की भूमि, उंची नीची भूमि में अलग माप आता है तथा संयत्र में अलग माप आता है। दूसरी तरफ संयत्र की प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। वन विभाग द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवा लिये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि की तरफ सीमा चिन्ह बढ़ जाने से प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग के विरूद्ध कार्यवाही न की जाकर गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आधारहीन व बनावटी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कतई चलने योग्य नहीं है। इस मद में तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर व प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति बताकर वास्तविक तथ्यों को छुपाया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद हैतुक पैदा नहीं हुआ है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 6 से सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर झगड़ा फसाद खड़ा कर दिया हो और सीमा ज्ञान नहीं होने दिया हो। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वन विभाग के साथ प्रार्थीगण का विवाद है। उक्त तथ्य को छिपाकर गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश कभी नहीं करवाई गई। प्रार्थीगण को अपनी सीमा का ज्ञान हमेशा से ही भली भांति रहा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है। उनको सीमा ज्ञान की अलग से आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि मौके पर सीमा चिन्ह नहीं हों। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के सीमा चिन्ह सदामद से ही ज्यों के त्यों चले आ रहे है। सीमा चिन्ह बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती हैं इस मद में गलत अंकित किया गया है कि उक्त कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। जबकि उक्त कार्यवाही तहसीलदार महोदय के समक्ष की जानी चाहिए थी क्योंकि भूमि धारक तहसीलदार होता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया है। अधिनियम की धारा 111 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "किसी सीमाओं के विवाद के सम्बन्ध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) ऐसे विवाद का भी निश्चय जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर तथा जहां वह सम्भव न हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध न हों वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा।" इसी प्रकार अधिनियम की धारा 128 में प्रावधान किया गया है कि "सीमाओं से सम्बन्धित सभी विवाद भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा धारा 111 के अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे।" अर्थात् ऐसे विवाद निपटान का क्षेत्राधिकार तहसीलदार महोदय को ही है। प्रकरण श्रीमान्जी के सुनवाई योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र में चाहा गया समस्त अनुतोष अस्वीकार किया जाता हैं । क्योंकि उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने काबिल नहीं है।

अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 3 की कृषि भूमि की सींव सदामद से जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर ज्यों के त्यों सीमा चिन्ह मौजूद चले आ रहे है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार के सीमा चिन्ह नहीं हटाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा चिन्ह हटाने का कोई प्रयास भी कभी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कभी कोई विवाद विद्यमान नहीं रहा है, नही वर्तमान में सींव को लेकर किसी प्रकार का विवाद है। प्रार्थीगण की सींव वन विभाग की भूमि से चिपते हुए है। वन विभाग द्वारा उपनी भूमि की पैमाईश की जाकर सीमा चिन्ह आदि की कार्यवाही पिछले समय में की गई थी। वन विभाग की भूमि की पैमाईश जरीब से पुराने समय में की जाती रही है लेकिन वर्तमान में जरीब से वन विभाग द्वारा कोई पैमाईश नहीं करवाई गई और पैमाईश संयत्र से पैमाईश अंदाज से की जाकर वन विभाग द्वारा जगह जगह सीमा चिन्ह स्थापित किये गये। जरीब से पैमाईश करने व पैमाईश संयत्र से पैमाईश करने में अन्तर आना स्वभाविक है क्योंकि जरीब से टीलों की भूमि उंची नीची भूमि में अलग माप आता है तथा संयत्र में अलग माप आता है। दूसरी तरफ संयत्र की प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। वन विभाग द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवा लिये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि की तरफ सीमा चिन्ह बढ़ जाने से प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग के विरूद्ध कार्यवाही न की जाकर गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आधारहीन व बनावटी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कतई चलने योग्य नहीं है। इस मद में तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर व प्रार्थना पत्र को रंगत देने के

उपखण्ड अधिक
धौलपुर

लिए अप्रार्थी संख्या 1 को शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति बताकर वास्तविक तथ्यों को छुपाया जा रहा है। प्रार्थीगण बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है। जो जबरन अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर काबिज होना चाहते है। जिसके तहत सारी कार्यवाही गलत रूप से की है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद हैतुक पैदा नहीं हुआ है।

यह कि उक्त कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। जबकि उक्त कार्यवाही तहसीलदार महोदय के समक्ष की जानी चाहिए थी क्योंकि भूमि धारक तहसीलदार होता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया है। अधिनियम की धारा 111 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "किसी सीमाओं के विवाद के सम्बन्ध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) ऐसे विवाद का भी निश्चय जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर तथा जहां वह सम्भव न हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा।" इसी प्रकार अधिनियम की धारा 128 में प्रावधान किया गया है कि "सीमाओं से सम्बन्धित सभी विवाद भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा धारा 111 के अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे।" अर्थात् ऐसे विवाद निपटान का क्षेत्राधिकार तहसीलदार महोदय को ही है। प्रकरण श्रीमान्जी के सुनवाई योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र में वाद हैतुक प्रकट नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा जवाब देही का खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को प्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 आँकारमल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 से 3 प्रार्थीगण प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करें। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण प्रमाणिक साक्ष्य से स्वयं साबित करें। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण सीधे साधे कमजोर व्यक्ति हैं। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 काफी होशियार, शक्तिशाली एवं झगड़ालू प्रवृति का राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने लालच में आकर सींव के सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये हों और मौके पर प्रार्थीगण की लगी हुई पट्टियां गिरा दी हो और मौके पर सीमा चिन्ह पूर्णतया समाप्त कर दिये हों। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का ओलमा दिया हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने टांग तोड़ने व जान से मारने की आदि की धमकी दी हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया गया है कि आये दिन झगड़ा होने की स्थिति आ गई हो। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि की सींव सदामद से जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर ज्यों के त्यों सीमा चिन्ह मौजूद चले आ रहे हैं। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार के सीमा चिन्ह नहीं हटाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा चिन्ह हटाने का कोई प्रयास भी कभी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कभी कोई विवाद विद्यमान

उपखण्ड अ
धूरू

नहीं रहा है, न ही वर्तमान में सींव को लेकर किसी प्रकार का विवाद है। प्रार्थीगण की सींव वन विभाग की भूमि से चिपते हुए है। वन विभाग द्वारा अपनी भूमि की पेमाईश की जाकर सीमा चिन्ह आदि की कार्यवाही पिछले समय में की गई थी। वन विभाग की भूमि की पेमाईश जरीब से पुराने समय में की जाती रही हैं लेकिन वर्तमान में जरीब से वन विभाग द्वारा कोई पेमाईश नहीं करवाई गई और पेमाईश संचत्र से पेमाईश अंदाज से की जाकर वन विभाग द्वारा जगह जगह सीमा चिन्ह स्थापित किये गये। जरीब से पैमाईश करने व पैमाईश संयत्र से पैमाईश करने में अन्तर आना स्वभाविक हैं क्योंकि जरीब से टीलों की भूमि, उंची नीची भूमि में अलग माप आता है तथा संयत्र में अलग माप आता है। दूसरी तरफ संयत्र की प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। वन विभाग द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवा लिये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि की तरफ सीमा चिन्ह बढ़ जाने से प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग के विरूद्ध कार्यवाही न की जाकर गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आधारहीन व बनावटी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कतई चलने योग्य नहीं है। इस मद में तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर व प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति बताकर वास्तविक तथ्यों को छुपाया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद हैतुक पैदा नहीं हुआ है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 6 से सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया हो। इस मद में यह भी गलत अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर झगड़ा फसाद खड़ा कर दिया हो और सीमा ज्ञान नहीं होने दिया हो। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वन विभाग के साथ प्रार्थीगण का विवाद है। उक्त तथ्य को छिपाकर गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश कभी नहीं करवाई गई। प्रार्थीगण को अपनी सीमा का ज्ञान हमेशा से ही भली भांति रहा है। उनको सीमा ज्ञान की अलग से आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि मौके पर सीमा चिन्ह नहीं हों। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 के सीमा चिन्ह सदामद से ही ज्यों के त्यों चले आ रहे है। सीमा चिन्ह बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती हैं इस मद में गलत अंकित किया गया है कि उक्त कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। जबकि उक्त कार्यवाही तहसीलदार महोदय के समक्ष की जानी चाहिए थी क्योंकि भूमि धारक तहसीलदार होता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया है। अधिनियम की धारा 111 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "किसी सीमाओं के विवाद के सम्बन्ध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) ऐसे विवाद का भी निश्चय जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर तथा जहां वह सम्भव न हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध न हों वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा।" इसी प्रकार अधिनियम की धारा 128 में प्रावधान किया गया है कि "सीमाओं से सम्बन्धित सभी विवाद

उपखण्ड अधिक
धूस

भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा धारा 111 के अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे।" अर्थात् ऐसे विवाद निपटान का क्षेत्राधिकार तहसीलदार महोदय को ही है। प्रकरण श्रीमान्जी के सुनवाई योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र में चाहा गया समस्त अनुतोष अस्वीकार किया जाता हैं । क्योंकि उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने काबिल नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कृषि भूमि की सींव सदामद से जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर ज्यों के त्यों सीमा चिन्ह मौजूद चले आ रहे है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार के सीमा चिन्ह नहीं हटाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा चिन्ह हटाने का कोई प्रयास भी कभी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कभी कोई विवाद विद्यमान नहीं रहा है, नही वर्तमान में सींव को लेकर किसी प्रकार का विवाद है। प्रार्थीगण की सींव वन विभाग की भूमि से चिपते हुए है। वन विभाग द्वारा उपनी भूमि की पैमाईश की जाकर सीमा चिन्ह आदि की कार्यवाही पिछले समय में की गई थी। वन विभाग की भूमि की पैमाईश जरीब से पुराने समय में की जाती रही है लेकिन वर्तमान में जरीब से वन विभाग द्वारा कोई पैमाईश नहीं करवाई गई और पैमाईश संयत्र से पैमाईश अंदाज से की जाकर वन विभाग द्वारा जगह जगह सीमा चिन्ह स्थापित किये गये। जरीब से पैमाईश करने व पैमाईश संयत्र से पैमाईश करने में अन्तर आना स्वभाविक है क्योंकि जरीब से टीलों की भूमि उंची नीची भूमि में अलग माप आता है तथा संयत्र में अलग माप आता है। दूसरी तरफ संयत्र की प्रमाणिकता भी संदिग्ध है। वन विभाग द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवा लिये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि की तरफ सीमा चिन्ह बढ़ जाने से प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग के विरूद्ध कार्यवाही न की जाकर गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आधारहीन व बनावटी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कतई चलने योग्य नहीं है। इस मद में तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर व प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति बताकर वास्तविक तथ्यों को छुपाया जा रहा है। प्रार्थीगण बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है। जो जबरन अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर काबिज होना चाहते है। जिसके तहत सारी कार्यवाही गलत रूप से की है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद हैतुक पैदा नहीं हुआ है। यह कि उक्त कार्यवाही सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। जबकि उक्त कार्यवाही तहसीलदार महोदय के समक्ष की जानी चाहिए थी क्योंकि भूमि धारक तहसीलदार होता है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया है। अधिनियम की धारा 111 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "किसी सीमाओं के विवाद के सम्बन्ध में किसी विवाद की दशा में भूमि अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) ऐसे विवाद का भी निश्चय जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर तथा जहां वह सम्भव न हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा।" इसी प्रकार अधिनियम की धारा 128 में प्रावधान किया गया है कि "सीमाओं से सम्बन्धित सभी विवाद भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा धारा 111 के अधिकथित रीति से विनिश्चित किये जायेंगे।" अर्थात् ऐसे विवाद निपटान का क्षेत्राधिकार तहसीलदार महोदय को ही है। प्रकरण श्रीमान्जी के सुनवाई योग्य नहीं है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 शान्तिप्रिय व्यक्ति है जबकि प्रार्थीगण एक ही परिवार के 17 व्यक्ति हैं जो संख्या के आधार पर तथा अशान्त तरीके से अप्रार्थी सं. 2 की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं इस कारण गलत रूप से प्रार्थना

उपखण्ड अधिका
चूरू

पत्र पेश किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र में वाद हैतुक प्रकट नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा जवाब देही का खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को प्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 4 ने जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 4 फौत हो चुका है जिस पर वकील प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थीगण ने संशोधित टाईटल एवं सम्मन तलवाना पेश किया। संशोधित टाईटल अवर में शामिल किया जाकर कायम मुकामन को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 4/1, 4/2, 4/5 व 4/7 की ओर से श्री विजयसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली काफी समय तक अप्रार्थी सं. 4/3, 4/4, 4/6 की तलबी व जवाब में लम्बित चलती रही। बार–बार हिदायत एवं असीमित समय दिये जाने के बावजूद तलबी से अप्रार्थीगण के सही पते सम्मन तलवाना पेश नहीं करने पर जाहिर हुआ कि प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र में रूचि नहीं ले रहे हैं। जिस पर दिनांक 15.07.15 को प्रार्थना पत्र ड्रॉप किया गया। प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 13.08.15 को रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र वाजवे नम्बर पर दर्ज किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं. 4/3, 4/4, 4/6 को बार–बार सम्मन जारी किये गये परन्तु तामील नहीं हो पाई। इस दौरान प्रार्थी सं. 6 की मृत्यु हो जाने पर वकील प्रार्थीगण की ओर से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो अन्दर मियाद पेश किया जाने से स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश करने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थीगण ने संशोधित टाईटल पेश किया जो अवर में शामिल किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि बार बार सम्मन भिजवाये जाने के बावजूद तलबी नहीं हो पा रही है इसलिए तलबी जरिये अखबार करवाने का आदेश फरमावें। जिस पर तलबी से शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिये अखबार करवाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थी ने अखबारी नोटिस पेश किया जो जारी किया गया। वकील प्रार्थी ने सूची के संलग्न तलबी अखबार दैनिक राष्ट्रदूत दिनांक 05.11.17 की प्रति पेश की जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 4/3, 4/4, 4/6 पर तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं. 4/1, 4/2, 4/5, 4/7 व 5 को जवाब हेतु अन्तिम, न्यायहित एवं स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिये गये परन्तु जवाब ना देकर पुनः अवसर की मांग की गई जिस पर 500/– कोस्ट पर भी अवसर दिया गया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया। अन्ततः दिनांक 31.01.18 को उक्त अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा "नो इन्स्ट्रक्शन" अंकित किया गया जिस पर जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण अन्य लोगों से कय कर पजेशन में आये हैं। अप्रार्थीगण ने खेतों के मध्य स्थित सीमा चिन्हों को हटा दिया। सीमा ज्ञान व पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीगण वहन करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य स्थित सीमा चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं ना ही कोई सीमा विवाद हुआ है। प्रार्थीगण वन विभाग के खसरा संख्या 261 में गई भूमि को हमारे एरिया से पूरा करना चाहते हैं जबकि वन विभाग को इन्होंने पक्षकार ही नही बनाया। ना तो मेरे जवाब का खण्डन किया, ना इस बाबत कोई जवाब दिया तथा ना ही साक्ष्य करवाई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने पुनः कथन किया कि हमारा प्रार्थना पत्र सम्मरी प्रोसीडिंग की श्रेणी में आता है जिसमें सरसरी कार्यवाही होती है। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य हमने अंकित किये हैं। वन विभाग के साथ हमारा सीमा सम्बन्धी कोई विवाद ही नहीं है। इसलिए वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 रोही कस्बा चूरू के ख.नं. 251 तादादी 40.09 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीगण सं. 1 से 17 एवं 1 से 5 की माता सायरा खातेदार अंकित हैं जिनमें से प्रार्थी सं. 1 से 5 की माता का स्वर्गवास हो चुका है। नकल नक्शा रोही कस्बा चूरू जिसमें ख.नं. 251 जो प्रार्थीगण की एवं ख.नं. 1564/248 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी का है। उक्त नक्शा से जाहिर है कि दोनों खसरा नम्बरों की भूमियां एक–दूसरे के उत्तर–दक्षिण में सींवाजोड़ स्थित हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 रोही कस्बा चूरू के ख.नं. 1564/248 तादादी 40.02 बीघा कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 से 3, 5 एवं अप्रार्थी सं. 4/1 से 4/7 के पिता अस्तअलीखां की खातेदारी में अंकित है। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 251 प्रार्थीगण की एवं ख.नं. 1564/248 अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4/3, 4/4, 4/6 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। उपस्थित अप्रार्थी सं. 4/1, 4/2, 4/5, 4/7 व 5 को जवाब हेतु असीमित अवसर व समय दिया जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सिरे से नकारते हुए प्रार्थना पत्र में वाद हैतुक नहीं होने एवं इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण गलत रूप से पेश किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है परन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में वाद हैतुक का उल्लेख किया है तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ही है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में विवादित खेत के अन्य पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने जाहिर किया है हमारे खेत की सीमा को लेकर विवाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य ही है, अन्य पड़ौसी खातेदारों के साथ कोई विवाद मौजूद नहीं होने से उनको

उपखण्ड अधि
चूरू

पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसका विधिवत सीमा ज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाने का नियमानुसार उनको अधिकार है। हालांकि अप्रार्थीगण ने सीमा सम्बन्धी कोई विवाद होने से इन्कार किया है परन्तु अपने जवाब में ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं बल्कि वर्तमान में मौजूद सीमा सम्बन्धी विवाद एवं भविष्य में होने वाले सम्भावित सीमा विवादों का स्थायी समाधान होना परिलक्षित है। इस प्रकार इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 251 तादादी 40 बीघा 9 विश्वा भूमि की नपती हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर अभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू